

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 15 अक्टूबर, 2025

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के आलोक में की गई जब्ती की कार्रवाई

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने के पश्चात राज्य में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा व्यापक रूप से निगरानी और गहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। मतदाताओं को प्रलोभन देने हेतु नकद, शराब, मादक पदार्थ, बहुमूल्य वस्तुएं अथवा अन्य उपहारों के वितरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से की जा रही कार्रवाई के क्रम में बड़ी मात्रा में जब्ती की गई है।

दिनांक 15.10.2025 की प्रमुख जब्ती (रिपोर्टेड राशि लाख रुपये में):

- नकद राशि— ₹10 लाख
- शराब— ₹78.7 लाख
- ड्रग्स/नशीले पदार्थ— ₹25 लाख
- कीमती धातु— ₹0 लाख
- फ्रीबीज/अन्य वस्तुएं— ₹15 लाख
- कुल जब्ती— ₹128.4 लाख

आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने के बाद अब तक की प्रमुख जब्ती (रिपोर्टेड राशि लाख रुपये में):

- नकद राशि— ₹215 लाख
- शराब— ₹1611.588 लाख
- ड्रग्स/नशीले पदार्थ— ₹669.6 लाख
- कीमती धातु— ₹494 लाख
- फ्रीबीज/अन्य वस्तुएं— ₹723.7 लाख
- कुल जब्ती— ₹3714.0 लाख

राज्य में चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, आबकारी विभाग, आयकर विभाग, नॉरकोटिक्स ब्यूरो, सीमा शुल्क और फ्लाइंग स्क्वाड टीमों द्वारा लगातार संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है।

विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के क्रम में राज्य में अब तक कुल 221 अवैध हथियार, जब्त किया गया है। जब्त कारतूसों की संख्या 1487 एवं विस्फोटकों की संख्या 5 है। अवैध हथियार बनाने वाले 14 केंद्रों पर छापेमारी की गयी है। भयमुक्त मतदान सम्पन्न कराने की दिशा में अब तक लगभग 33.3 % लाईसेंसी हथियारों को जमा करा लिया गया है। कुल 798 हथियारों का लाईसेंस रद्द कर दिया गया है एवं 669 हथियारों जब्त कर लिया गया है। इस अभियान को और तेज गति से चलाया जाएगा। राज्य के सभी जिले भयमुक्त निर्वाचन के लिए कृतसंकल्प हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि निगरानी को और सशक्त बनाते हुए प्रत्येक शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता बिना किसी प्रलोभन या दबाव के स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
